संख्या 31011/16/86-स्था0(क)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 अक्तूबर, 1987

कार्यालय ज्ञापन

विषय: छुट्टी यात्रा रियायत की प्रसुविधा का दुरुपयोग करने में दोषी पाए गए सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत की अस्वीकृति ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार को जानकारी में यह बात आई है कि सरकारी कर्मचारी कई मामलों में छुट्टी यात्रा रियायत की प्रसुविधा का दुरुपयोग करते रहे हैं । अतः यह निर्णय किया गया है कि जब कभी भी छुट्टी यात्रा रियायत के झूठे दावों का कोई मामला ध्यान में आता है और सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इस कदाचार के लिए सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने के प्रयोजन से प्रथम-दृष्टया कोई मामला बनता है तो ऐसी स्थिति में छुट्टी यात्रा रियायत के दावे को रोक दिया जाना चाहिए और उसके विरुद्ध कार्यवाहियों को अंतिम रूप दिए जाने तक संबंधित कर्मचारी को इस प्रसुविधा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

2- यदि सरकारी कर्मचारी छुट्टी यात्रा रियायत के दुरूपयोग के आरोपों से पूरी तरह मुक्त कर दिया जाता है तो उसे आगे के ब्लाक वर्षों में की उसकी अधिवर्षिता की साधारण तारीख से पहले, छुट्टी यात्रा रियायत के अतिरिक्त सैट (सैटों) के रूप में, पहले स्थगित किए गए छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाने की अनुमति दे दी जाएगी । ऐसी स्थिति में, अगले ब्लाक के पहले वर्ष में न ली गई छुट्टी यात्रा रियायत प्रसुविधा के समाप्त हो जाने से सम्बद्ध उपबन्ध लागू नहीं रहेंगे ।

3. फिर भी यदि सरकारी कर्मचारी को छुट्टी यात्रा रियायत के दुरूपयोग के आरोपों से पूरी तरह मुक्त नहीं किया जाता है तो उसे पहले स्थगित किए गए छुट्टी यात्रा रियायत के सैट (सैटों) के अतिरिक्त छुट्टी यात्रा रियायत के अगले दो सैटों की भी अनुमति नहीं दी जाएगी । यदि यह दुरूपयोग गम्भीर स्वरूप का हो तो ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी छुट्टी यात्रा रियायत के दो से अधिक सैटों में नामन्जूर भी कर सकता है । अनुशासनिक कार्रवाई में किसी

..... 2/-

सिद्ध कदाचार दण्ड देने पर ऐसी अस्वीकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

4. ये आदेश, इनके जारी होने की तारीख से लागू होंगे ।

5. जहां तक भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत सरकार के नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक की सहमति से जारी किए जाते हैं ।

5. वित्त मंत्रालय इत्यादि से अनुरोध है कि वे इन अनुदेशों को उनके अधीन कार्यरत सरकारी कर्मचारियों की जानकारी में लाएं ।

अ जयरामन
(ए. जयरामन)
निदेशक, (स्था0)

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतिलेखों सेहित)

संख्या 31011/16/86-स्था0(क) नई दिल्ली, दिनांक 8 अक्तूबर, 1987

1. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली
4. रजिस्ट्रार, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली
5. आयुक्त, भाषाई अल्पसंख्यक, इलाहाबाद
6. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय
7. सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद् (जे.सी.एम.)
8. राष्ट्रीय परिषद् (जे.सी.एम.)के सभी सदस्य
9. सभी संघशासित क्षेत्र प्रशासन
10. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय ।
11. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी अधिकारी तथा अनुभाग ।

अ जयरामन
(ए. जयरामन)
निदेशक (स्था.)